भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2048

दिनांक 31 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

.....

गुजरात में नदियों का प्रदूषण स्तर

2048. श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास गुजरात में नदियों के प्रदूषण स्तर पर कोई व्यापक आँकड़े हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्य में सबसे अधिक प्रभावित नदियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गुजरात की नदियों में प्रदूषण के प्राथमिक स्रोतों का ब्यौरा क्या है और साथ ही इन जल निकायों में औद्योगिक अपशिष्ट, सीवेज निर्वहन और प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ग) नमामि गंगे मिशन और अन्य राज्य-स्तरीय प्रयासों जैसे कार्यक्रमों के अंतर्गत गुजरात में प्रदूषित नदियों की सफाई और पुनरुद्धार के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट पहल की गई हैं,

(घ) विगत पाँच वर्षों के दौरान गुजरात में नदी सफाई परियोजनाओं के लिए कुल कितना वित्तीय आवंटन किया गया है और वास्तव में कितना व्यय हुआ है; और

(ङ) गुजरात में तेजी से हो रहे शहरीकरण और औद्योगीकरण को ध्यान में रखते हुए नदी प्रदूषण को रोकने और सतत जल संसाधन सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई/बनाई जा रही दीर्घकालिक नीतियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री
(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा जैव-रसायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी- जैविक प्रदूषण का एक संकेतक) के संदर्भ में जल गुणवत्ता निगरानी परिणामों के आधार पर देश में नदियों के प्रदूषण मूल्यांकन पर वर्ष 2022 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, गुजरात राज्य में 13 खंडों को प्रदूषित चिन्हित किया गया, जिनका विवरण नीचे दिया गया है: -

क्र. सं.	नदी	प्रदूषित नदी खंड/स्थान	अधिकतम बीओडी देखा गया (मिलीग्राम/लीटर)	प्राथमिकता
1	अमलाखाड़ी	अंकलेश्वर के पास	49.0	I
2	भादर	जेतपुर के पास	258.6	I
3	धादर	कोठाडा के पास	33.0	I
4	खारी	लाली गांव के पास	195.0	I
5	साबरमती	रायसन से वौथा	292.0	I
6	विश्वामित्री	खलीपुर गांव के साथ	38.0	I
7	मिंढोला	सचिन के पास	28.0	II
8	माही	कोटना से मुजपुर	12.0	III
9	शेधी	खेड़ा के पास	6.2	IV
10	भोगावो	सुरेंद्रनगर के पास	6.0	V
11	भूखी खाड़ी	वागरा के पास	3.9	V
12	दमनगंगा	काचीगांव और चानोद के पास	5.3	V
13	तापी	निज़हर के पास	3.4	V

गुजरात में चिन्हित कुल नदी खंडों में से प्राथमिकता-I के अंतर्गत वर्गीकृत प्रदूषित नदी खंड सबसे अधिक प्रदूषित हैं।

(ख) से (ङ): देश की नदियाँ मुख्यतः शहरों/कस्बों से अनुपचारित या आंशिक रूप से उपचारित सीवेज और औद्योगिक अपशिष्टों के उनके संबंधित जलग्रहण क्षेत्रों में प्रवाहित होने, ठोस अपशिष्टों के डंपिंग, कृषि अपवाह, सीवेज/अपशिष्ट उपचार संयंत्रों के संचालन और रखरखाव में समस्याओं, तनुकरण की कमी और प्रदूषण के अन्य गैर-बिंदु स्रोतों के कारण प्रदूषित होती हैं। तीव्र शहरीकरण और औद्योगीकरण ने चुनौतियों को और बढ़ा दिया है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और स्थानीय निकायों की यह प्राथमिक ज़िम्मेदारी है कि वे सीवेज और औद्योगिक अपशिष्टों को प्राप्तकर्ता जल निकायों या भूमि में छोड़ने से पहले, उनमें प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण हेतु आवश्यक उपचार सुनिश्चित करें। यह मंत्रालय गंगा और उसकी सहायक नदियों के पुनरुद्धार, संरक्षण और प्रबंधन के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रहा है। देश की अन्य नदियों/सहायक नदियों के संरक्षण के लिए, लागत साझेधारी के आधार पर राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों के संपूरित करने हेतु राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, गुजरात में साबरमती, तापी और मिंधोला नदियों के संरक्षण हेतु प्रदूषण निवारण योजनाओं को कुल 1875.29 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत किया गया और 697 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) की सीवेज उपचार क्षमता निर्मित की गई। इन

परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पिछले 5 वर्षों के दौरान केंद्रीय हिस्से में से 559.56 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

गुजरात सरकार ने बताया है कि नगरपालिका द्वारा छोड़े जाने वाले अपशिष्टों के कारण नदियों में होने वाले प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए राज्य में कुल 4414 एमएलडी सीवेज उत्पादन के विरुद्ध 6105 एमएलडी सीवेज उपचार क्षमता निर्मित की गई है। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक अपशिष्टों के कारण नदियों में होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए, जल प्रदूषणकारी इकाइयों के पास या तो अपने स्वयं के अपशिष्ट उपचार संयंत्र हैं या वे सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों से जुड़े हुए हैं।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), स्मार्ट सिटी मिशन और स्वच्छ भारत मिशन - शहरी योजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही हैं, इनका उद्देश्य चिन्हित कस्बों में सीवरेज अवसंरचना का निर्माण और/या संवर्धन करना है और इस प्रकार उन कस्बों में नदियों और अन्य जल निकायों, स्वच्छता प्रणालियों और जल प्रबंधन की जल गुणवत्ता में सुधार करना है।

नदियों की सफाई/पुनरुद्धार एक सतत एवं गतिशील प्रक्रिया है। देश में प्रदूषित नदी क्षेत्रों के संबंध में मूल आवेदन संख्या 673/2018 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों के अनुपालन में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने अधिकार क्षेत्र में उक्त क्षेत्रों के पुनरुद्धार हेतु कार्य योजनाओं को क्रियान्वित करना आवश्यक है।

*****